इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic. in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 13, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2015

सूचना

एफ. 12-2-2014-सात-2ए.—मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान हो जाने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि उक्त प्रारूप नियम के संबंध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात्:—

"**19 ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में भूमि की सीमाएं.**—अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (3) के खण्ड (क) सहपठित धारा 46 के अन्तर्गत भूमि के विस्तार की वे सीमाएं, जिससे अधिक भूमि के लिए प्राईवेट बातचीत के माध्यम से विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा क्रय के मामले में अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उपबंध लागू होंगे, नगरीय क्षेत्रों में 20 हैक्टर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 हैक्टर होगी.

20. **पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के लिए प्रक्रिया.—**

(1) (क) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति पहली बैठक तब करेगी जब प्रशासक द्वारा "प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम" तैयार कर ली गई हो;

(ख) समिति स्कीम पर विचार विमर्श करेगी और सुझाव तथा अनुशंसाए करेगी ओर तत्पश्चात् समिति, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने तक माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रगति की समीक्षा और उसकी मानिटरिंग करेगी. कार्यान्वयन उपरांत सामाजिक लेखा परीक्षा करने के प्रयोजन से समिति तीन माह में एक बार बैठक करेगी.

(ग) समिति, प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकेगी और यदि वह ऐसी वांछा करे तो प्रभावित कुटुम्बों के साथ विचार-विमर्श कर सकेगी और पुनर्वासन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के लिए पुनर्वासन क्षेत्र का दौरा भी कर सकेगी.

(2) समिति के अशासकीय सदस्यों को, यदि कोई हों, राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दर से यात्रा और दैनिक भत्ता मिलेगा.

21. **राज्य पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मॉनिटरिंग समिति की प्रक्रिया और इससे सम्बद्ध विशेषज्ञों के भत्ते.—**

(1) अधिनियम की धारा 50 के अधीन गठित राज्य मॉनिटरिंग समिति अधिनियम की धारा 18 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त द्वारा अनुमोदित उक्त स्कीमों के प्रकाशन के दो माह के भीतर परियोजनाओं के लिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मॉनिटरिंग करेगी और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मॉनिटरिंग करने के लिए तीन माह में एक बार समिति की बैठक आयोजित की जाएगी.

(2) राज्य मॉनिटरिंग समिति से संबद्ध अशासकीय विशेषज्ञों को मुख्यालय से बाहर की यात्रा के लिए राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दर से यात्रा और दैनिक भत्ता मिलेगा.

22. **अनुपयोजित भूमि का वापिस किया जाना.—**

(1) जब अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि, अपेक्षक निकाय द्वारा आधिपत्य लिये जाने की तारीख से किसी परियोजना के स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट अवधि या पांच वर्ष तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अनुपयोजित रहती है तो उसे उस अपेक्षक निकाय को, जिसके लिए भूमि अर्जित की गयी थी, को सूचना जारी करके और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करके तथा इस प्रयोजन के लिये इस संबंध में कलेक्टर द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके यथास्थिति मूल भू-धारी या भू-धारियों का या उनके विधिक उत्तराधिकारियों को या भूमि-बैंक को लौटा दिया जाएगा.

(2) कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व, कलेक्टर, यथास्थिति, मूल भू-धारी या भू-धारियों को या उनके विधिक उत्तराधिकारियों को ऐसी भूमि के अर्जन के लिए उसे या उन्हें दिए गए प्रतिकर की राशि के बराबर राशि जमा करने का प्रस्ताव करेगा और ऐसी राशि सरकार खजाने में भुगतान की जाने पर कलेक्टर यथास्थिति मूल भू-धारी और भू-धारियों को या उनके विधिक उत्तराधिकारियों को अर्जित भूमि की वापिसी के संबंध में आदेश पारित करेगा. यदि ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कलेक्टर द्वारा दी गई अवधि के भीतर जो छह माह से अधिक की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी. ऐसी राशि जमा करने से इंकार किया जाता है तो भूमि, भूमि-बैंक में रखी जाएगी.

(3) उपरोक्तानुसार लिखित आदेश पारित करने के पश्चात् कलेक्टर अर्जित भूमि को यथास्थिति मूल भू-धारी या भू-धारियों को या उनके विधिक उत्तराधिकारियों का वापिस करने के लिए या अधिनियम की धारा 101 में यथापरिभाषित भूमि-बैंक में रखने के लिए अपने कब्जे में लेगा.

(4) यदि अपेक्षक निकाय उक्त भूमि का कब्जा कलेक्टर को नहीं सौंपता है तो कलेक्टर अपेक्षक निकाय को पूर्व सूचना देकर कब्जा लेने के लिए पुलिस बल की सहायता ले सकेगा.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2015

क्र. एफ-12-2-2014-सात-2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्र. एफ-12-2-2014-सात-2ए, दिनांक 30 नवम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

No. F-12-2-2014-VII-Sec.-2A Bhopal, the 30 November 2015

NOTICE

The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 109 of the Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), is hereby, published as required by section 112 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Secretary, Revenue Department, Vallabh, Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, after rule 18, the following rules shall be added, namely:-

"19. Limits of Land in rural areas and urban areas.- The limits of land under clause (a) of sub-section (3) of section 2 read with section 46 of the Act beyond which provisions of rehabilitation and Resettlement under the Act apply, in case of purchase by a person other than specified person through private negotiation, shall be 20 hectares in urban areas and 100 hectares in rural areas.

20. Procedure for Rehabilitation and Resettlement Committee.-

(1) (a) The rehabilitation and Resettlement Committee shall have its first meeting when a draft of Rehabilitation and Resettlement Scheme has been prepared by the Administrator.

(b) The Committee shall discuss the scheme and make suggestions and recommendations and thereafter, the Committee shall meet, review and monitor the progress of Rehabilitation and Resettlement at least once in a month till the process of rehabilitation and resettlement is completed. For the purpose of carrying out the post-implementation social audits, the Committee shall meet once in three months.

(c) The Committee may visit the affected area and discuss with the affected families if it so desires and also visit the resettlement area to monitor the resettlement process.

(2) The non-official members of the committee, if any, shall get travelling and daily allowance at the rate admissible to the Class-II Officers of the State Government.

21. Procedure of State Monitoring committee for Rehabilitation and Resettlement and allowances of the experts associated with it.-

(1) The State Monitoring Committee constituted under section 50 of the Act, shall review and monitor the implementation of the Rehabilitation and Resettlement Schemes for the projects within two months of the publication of the said approved schemes by the Commissioner of the Rehabilitation and Resettlement under section 18 of the Act and meeting of such Committee shall be held once in three months to review and monitor the implementation of the rehabilitation and resettlement schemes.

(2) The non-official experts associated with the State Monitoring Committee shall be paid travelling and daily allowance at the rate admissible to the class-I Officers of the State Government for journeys outside the headquarter.

22. Return of unutilized land.-

(1) Where any land acquired under the Act, remains unutilized for a period specified for setting up of any project or a period of five

years whichever is later, from the date of taking over the possession by the requiring body, the same shall be returned to the original land holder or land holders or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank by issuing a notice to the Requiring Body for whom the land was acquired and by giving an opportunity of being heard and by passing necessary order in writing by the Collector in this behalf for this purpose.

(2) Before passing any order, the Collector shall offer to the original land holder or land holders or their legal heirs, as the case may be, to deposit the same amount as it was paid him or them as the compensation for acquisition of such land and after paying such amount to Government Treasury, the Collector shall pass the order for returning the acquired land to the original land holder or land holders or their legal heirs, as the case may be. If such person or persons refuse to deposit such amount within the period given by the Collector, which shall not be more than six months but which may be extended for a period of not exceeding one year, the land shall be kept in land bank.

(3) After passing the written order as above, the Collector shall take possession of the acquired land for the purpose of returning the same to the original land holder or land holders or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank as defined in section 101 of the Act.

(4) If the Requiring Body does not handover possession of the said land to the Collector, then the Collector may take help of police force to take the possession after giving prior notice to the Requiring Body.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. SINGH, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.